

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

सी एम पी नंबर 838/2019

1. राजेश कुमार, उम्र लगभग 46 वर्ष, श्री जगरनाथ महतो के पुत्र, निवासी क्यूआर नंबर 308/II, सेक्टर-IIIC, बोकारो, स्टील सिटी, बोकारो, डाकघर और पुलिस स्टेशन-बोकारो, जिला-बोकारो, झारखंड
2. धर्मेन्द्र कुमार, उम्र लगभग 46 वर्ष, शिव प्रसाद का पुत्र, निवासी सी/ओ रामायण सिंह, प्रभात कॉलोनी, चास, डाकघर और पुलिस स्टेशन-चास, जिला-बोकारो, झारखंड
3. सुनील कुमार, उम्र लगभग 47 वर्ष, फकीरा महतो के पुत्र, निवासी सी/ओ बैद्यनाथ जैसवाल, पुरावास क्षेत्र, एयरटेल टॉवर के निकट, डाकघर जैनामोर, थाना और जिला बोकारो
4. बच्चू प्रसाद, उम्र लगभग 46 वर्ष, श्री कृष्ण प्रसाद के पुत्र, डी एस कॉलोनी, चास, क्यूआर सी/3, चास नगर पालिका कार्यालय के पास, डाकघर और पुलिस स्टेशन-चास, जिला-बोकारो, झारखंड
5. दिनेश कुमार, उम्र लगभग 44 वर्ष, सनीचर महतो का पुत्र, ब्लॉक क्वार्टर, गोमिया, डाकघर और पुलिस स्टेशन-आईईएल, जिला बोकारो (अब मृतक)
6. कमल नयन उम्र लगभग 52 वर्ष, स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद के पुत्र, ब्लॉक क्वार्टर, चंदनकियारी, डाकघर और पुलिस स्टेशन-चंदनकियारी, जिला-बोकारो..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. प्रधानसचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार, राँची
3. प्रधान सचिव-सह-आयुक्त, वित्त विभाग, झारखंड सरकार, राँची
4. उपायुक्त, बोकारो

5. बिहार राज्य द्वारा सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, पटना बिहार
6. जितेंद्र कुमार, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला परिवहन कार्यालय, बोकारो, कैंप-2, बोकारो स्टील सिटी, पीओ और पीएस बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो के रूप में पदस्थापित हैं।
7. संजीव कुमार, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, सर्कल कार्यालय, चंद्रपुरा, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात नहीं हैं।
8. मिथिलेश प्रसाद सिन्हा, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, उपायुक्त कार्यालय, गोपनीय शाखा, सेक्टर-4, पीओ और पीएस बोकारो जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
9. संतोष कुमार सिंह, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला ट्रेजरी, बोकारो, कैंप-2, बोकारो स्टील सिटी, पीओ और पीएस बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
10. महेश नायक, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला परिषद, बोकारो, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
11. शिव कुमार यादव, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, सर्किल कार्यालय, चास, ब्लॉक परिसर, चास, पीओ और पीएस चास, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
12. राम प्यारे चौधरी, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, उपायुक्त कार्यालय, गोपनीय शाखा, सेक्टर-4, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
13. हेमेंद्र कुमार महतो, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला प्रतिष्ठान सेल, कलेक्ट्रेट, बोकारो, कैंप-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में हैं।

14. विजय कुमार,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला स्थापना सेल, कलेक्ट्रेट, बोकारो कैंप-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
15. अंबिका प्रसाद बाउरी,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला भूमि अधिग्रहण कार्यालय, कलेक्ट्रेट, बोकारो कैंप-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
16. मनोज कुमार दास,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, ब्लॉक कार्यालय, जरीडीह, पीओ और पीएस जरीडीह, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
17. आदित्य प्रसाद,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम), पुराने कलेक्ट्रेट भवन, बोकारो कैंप-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
18. मनोज कुमार रजक, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, ब्लॉक कार्यालय, चंद्रपुरा, पीओ और पीएस चंद्रपुरा, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
19. विद्यासागर,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, कानूनी अनुभाग, बोकारो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, कैम्प-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
20. सुदर्शन राम, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला चुनाव सेल, बोकारो, कैंप-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
21. देवनंदन चौधरी,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, विकास शाखा, कलेक्ट्रेट, बोकारो कैंप-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।
22. पुने विक्रम खल्खो,पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, ब्लॉक कार्यालय, चास, ब्लॉक परिसर, चास, पीओ और पीएस चास, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।

23. रवि मुर्मू, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला नजारत अनुभाग, कलेक्ट्रेट, बोकारो, कैम्प-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात हैं।

24. लखीश्वर मरांडी, पिता का नाम याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में सहायक, जिला योजना शाखा, कलेक्ट्रेट, बोकारो, कैम्प-2, पीओ और पीएस बोकारो, जिला-बोकारो के रूप में तैनात

.... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री सौरभ शेखर, अधिवक्ता

झारखंड राज्य के लिए: श्री शुभम मिश्रा, एससी-माइंस-II के एसी

बिहार राज्य के लिए: श्री दिवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता

04/22. 01. 2021 श्री सौरभ शेखर, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वत अधिवक्ता, श्री शुभम मिश्रा, प्रतिवादी- झारखंड राज्य के लिए विद्वत अधिवक्ता और श्री दिवाकर उपाध्याय, प्रतिवादी-राज्य बिहार के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुना।

इस जनहित विविध याचिका को COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है।

किसी भी पक्ष ने ऑडियो-वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना और योग्यता दी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि WP (S) नंबर 6589/ 2012 में दिनांक 24.07.2019 को पारित के आदेश के ऑपरेटिव भाग में, अनजाने में सहायक के रूप में नोशनल पोस्टिंग 4000-6000/- (पूर्व संशोधित) वेतन मान के स्थान पर नोशनल प्रमोशन के रूप में टाइप किया गया है।

इसे रुपये 4000-6000/- (पूर्व-संशोधित) वेतन मान में सहायक के रूप में नोशनल पोस्टिंग के रूप में पढ़ा जाए।

नियुक्ति पत्र को संशोधित करने की आगे की दिशा भी सांकेतिक वरिष्ठता पर अनजाने में टाइप की गई है जबकि यह सांकेतिक नियुक्ति पत्र होना चाहिए।

इसे संवैधानिक वरिष्ठता के स्थान पर संवैधानिक नियुक्ति पत्र के रूप में पढ़ा जाए।

इस तथ्य के मद्देनजर कि दिनांक 29.04.2008 के नियुक्ति पत्र को संशोधित किया गया है, इस मामले के मद्देनजर, याचिकाकर्ता इस तरह के पैमाने के बकाया के हकदार नहीं होंगे, हालांकि, याचिकाकर्ता आदेश पारित होने की तारीख से यानी 24.07.2019 के लिए हकदार होंगे।

WP (S) नंबर 6589/ 2012 में पारित 24.07.2019 के आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है।

बता दें कि यह आदेश 24.07.2019 के आदेश का हिस्सा है।

सीएमपी नंबर 838/ 2019 को अनुज्ञात किया जाता है और इसका निष्पादन किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, जे.)

सत्यार्थी/-